

अति आवश्यक

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक: प.8(1)राज/वाद/19 पार्ट-1

जयपुर, दिनांक:- 09.08.23

समस्त विशिष्ट लोक अभियोजक,
पोक्सो न्यायालय, राजस्थान।

विषय:- शासन सचिवालय, जयपुर में दिनांक 12.08.23 को 01 दिवसीय
कार्यशाला में भाग लेने के संबंध में।
संदर्भ:- समसंख्यक पत्र दिनांक 25.07.23

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों की पालना में पोक्सो न्यायालय में राज्य की ओर से पैरवीरत विशिष्ट लोक अभियोजकगण की **कॉन्फ्रेन्स हॉल, शासन सचिवालय, जयपुर** में दिनांक 12.08.23 को पोक्सो प्रकरणों के अभियोजन में प्रखरता लाने हेतु आयोजित 01 दिवसीय कार्यशाला में प्रातः 10:00 बजे उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया था।


उक्त समय में आंशिक संशोधन करते हुये निर्देशित किया जाता है कि **कॉन्फ्रेन्स हॉल, शासन सचिवालय, जयपुर** में दिनांक 12.08.23 को प्रातः 09:30 बजे आवश्यक रूप से उक्त कार्यशाला में सम्मिलित हों।



(अनुपमा राजीव बिजलानी)
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. रजिस्ट्रार(न्यायिक), राजस्थान उच्च न्यायालय बैंच-जयपुर को उनके पत्र क्रमांक 9961 दिनांक 28.06.23 के क्रम में प्रेषित है।
2. पंजीयक, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि दिनांक 12.08.23 को प्रातः 09:30 बजे से सांय 06:00 बजे तक उक्त कार्यशाला आयोजित करने हेतु कॉन्फ्रेन्स हॉल आरक्षित कराने की व्यवस्था करावे।
3. प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।



(अनुपमा राजीव बिजलानी)
शासन सचिव, विधि